

राजस्थान में जनजातिय महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति

सारांश

भारत में विभिन्न प्रजातियों आती रही है। और बहुजातिय महासागर में विलिन होती रही है। बहुजातियता की एक और विशेषता यह है कि यह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बंटा हुआ है। और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी-अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। अनेक ऐसे मानव समूह इस श्रेत्र में निवास करते हैं। जो आज भी संस्कृति के आदिम स्तर पर हैं प्रायः सभ्य समाज से दूर जंगली एवं दूर दराज के श्रेत्रों में रहते हैं। उन्हें अत्यधिक पिछड़े हुए, आदिम जाति जनजाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्बोधित किया गया है।

मुख्य शब्द : सम्प्रदाय , बहुजातियता, संकिर्णता, पुनर्विवाह, आमूलचूल परिवर्तन, ग्रामोधोग, पिछड़े हुए हिन्दू, व्यवसायिक प्रशिक्षण, संग्रह

प्रस्तावना

डॉ. धुरिये के अनुसार "पिछड़े हुए हिन्दू" के रूप में परिभाषित किया गया है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रहि को जो सामान्य श्रेत्र में रहता हो एक सामान्य भाषा है, और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, एक जनजाति कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनजाति वह एक श्रेत्रीय मानव समूह है जो निश्चित भू-भाग में रहता है, सामान्य भाषा, सामाजिक नियम आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा है। स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य है कि एक समाज विषेय में स्त्रियों का क्या स्थान है। उन्हें पुरुषों से ऊँचा, बराबर या नीचा माना जाता है। साक्षों से कुछ समाजशास्त्री और गैर समाजशास्त्री हमारे समाज में स्त्रियों की समस्याओं के मूल्यांकन एवं उनकी प्रस्थिति में दो विचार मिलते हैं। एक सम्प्रदाय का कहना है कि स्त्रियों पुरुषों के बराबर थी जबकि दूसरे सम्प्रदाय की मान्यता है कि स्त्रियों का न केवल अपमान ही बल्कि उनके प्रति घृणा भी कि जाती थी। दोनों सम्प्रदाय की ने अपने-अपने दृष्टीकोण की पुष्टी में धार्मिक साहित्य के उदारहरण देकर कि है। परन्तु स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन उनके आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक, अधिकारी पर प्रकाश के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी।



लाला राम मीणा

व्याख्याता,
समाजशास्त्र विभाग,
गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज,
दौसा, राजस्थान

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों पर्दा-प्रथा नहीं करती थी। जीवन साथी के चुनाव में स्वतन्त्रता थी विधवा को पुनर्विवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। स्त्रियों आर्थिक क्रिया कलापों में भाग लेती थी।

पैराणिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति में गिरावट आयी यह धार्मिक एवं सामाजिक संकिर्णता का युग था। पर्दा-प्रथा भी प्रचलन में आयी। जीवन साथी के चयन में माता-पिता पर निर्भर, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगने लगे। आर्थिक क्रिया-कलाप धीरे-धीरे पुरुषों के हाथ में आये और धर्म की प्रधानता कम होने से भी स्त्रियों की प्रस्थिति में गिरावट आयी।

बौद्ध काल में स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार आया परन्तु मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आयी जिसके निम्न कारण थे, सती प्रथा का प्रचलन, पर्दा-प्रथा, बेमेल विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध इत्यादि, ब्रिटिश काल में भी स्त्रियों की प्रस्थिति अच्छी नहीं थी इस काल में भी सती प्रथा का प्रचलन, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा-विवाह पर प्रतिबन्ध थे, परन्तु कुछ समाज सुधारकों ने अपने आन्दोलन जारी रखे। जिससे स्त्रियों की स्थिति इतनी नहीं गिरी।

स्वतन्त्रोत्तर काल में स्त्रियों की प्रस्थिति धीरे-धीरे अच्छी होने लगी। उनके नये-नये कानून बनाये, कानूनों को कठोरता से लागू किया शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार पंचायती राज. अधिनियम ने इनकी प्रस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया और सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा,

Anthology : The Research

छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क पुस्तकें आदि सुविधाएँ से स्त्रियों की प्रस्थिति धीरे-धीरे पुरुषों के समान हो रही है।

जनजातिय महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति में गिरावट के कारण

1. बाल-विवाह
2. अशिक्षा,
3. निर्धनता
4. बेरोजगार
5. स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दिवसों
6. बेमेल विवाह
7. जीवन साथी के चयन की स्वतन्त्रता का अभाव
8. पर्दा-प्रथा
9. दहेज-प्रथा
10. अज्ञानता
11. कानून की अनियमितता
12. परम्पराएँ व रूढ़ियों में विश्वास
13. धर्म में आस्था
14. संयुक्त परिवार

उपर्युक्त कारण थे उसी के साथ-साथ स्थिति सुधार के लिए निम्न प्रयत्न किये गये और धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आता गया।

विकास एवं उत्थान से सम्बन्धित मुख्य योजनाओं को मुख्यतः तीन भागों में बाटा गया।

1. महात्मा गांधी द्वारा सुधार के प्रयत्न।
2. महिला संगठनों द्वारा सुधार के प्रयत्न।
3. संवैधानिक प्रावधान

महात्मा गांधी द्वारा प्रस्थिति सुधार में हमेशा स्त्री पुरुष की समानता को अधिक जोर दिया गया है। स्त्रियों को राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के लिए प्रयत्न किया गया। इसी कारण लाखों स्त्रियों ने आन्दोलन में भाग लिया। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया और सुधार के लिए अधिनियम बनवाये। गांधीजी के प्रयत्नों से बालविवाह, कुलिन विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह एवं अन्तर विवाह का समर्थन किया गया।

स्त्रियों की प्रस्थिति सुधार में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे भारतीय महिला संघ खादी ग्रामोद्योग हरिजन सेवक संघ, हिन्दुस्तानी संघ, महिला संघ भारतीय आदिम जाति शोध संस्थान इन संगठनों द्वारा स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति के लिए अच्छे प्रयत्न किये गये इनके द्वारा सुधार के प्रमुख प्रयास रहे हैं जो निम्न हैं:- सुलभ शौचालय, जन सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, पर्यावरण संरक्षण सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण आदि।

अध्ययन के उद्देश्य

1. तुलनात्मक महिला अध्ययन प्रमुख के पूरा होने पर, छात्र करने में सक्षम हो जाएगा।
2. अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की एक किस्म से हमारे अपने में महिलाओं और अन्य संस्कृतियों की स्थिति एक व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण।
3. तरीके जिसमें लिंग, जाति, नस्ल, वर्ग, और कामुकता दोनों पुरुषों और महिलाओं के सभी समाजों में के

सामाजिक, सांस्कृतिक, और जैविक अनुभव निर्माण का विश्लेषण।

4. ज्ञान के इतिहास में संज्ञा पूर्वाग्रह पहचानो।
5. एक निष्पक्ष तरीके से महिलाओं के अनुभवों अनुसंधान।
6. साहित्यिक ग्रंथों, मीडिया और कला में महिलाओं की छवियों का विश्लेषण, और इन छवियों और महिलाओं के प्रति सामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों का पता लगाने।

निष्कर्ष

संवैधानिक प्रावधानों में भी जनजातियो महिलाओं की प्रस्थितियों को ऊँचा उठाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये योगदान निम्न श्रेत्रों में था। आरक्षण पढ़ाई एवं नौकरीयो में लोकसभा एवं राज्यसभा में, पुरुषों के साथ समानता के कार्यों में और अनेक नये अधिनियम बनाये। जनजातिय महिलाओं की प्रस्थिति सुधार में इन अधिनियम का भी महत्वपूर्ण योगदान था जैसे दहेज निरोधक अधिनियम 1961, बाल विवाह निरोधक अधिनियम (षारदा एक्ट) देह शोषण अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि अन्य प्रयासो या योजनाओं से प्रस्थिति ऊँचा उठने के लिए प्रौढ महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम कल्याण केन्द्र पोषण कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, आदि अधिनियम समय में हुये आन्दोलनों में राजाराममोहन राय बद्धसमाज (1818) प्रार्थना समाज (1867) आर्य समाज 1875 राधाकृष्ण मिशन (1897) आदि की स्थापना ने अनेक रूदियों या सामाजिक बुराईयों को खत्म किया और महिलाओं की प्रस्थिति को ऊँचा उठाया सरकार द्वारा नये कानून व्यवस्था एवं सुधार प्रयत्न द्वारा, महिला चेतना योजना, महिलाओं के लिए सेवाओं में आरक्षण, सामूहिक विवाह हेतू अनुदान, महिला प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभिमान, महिला समृद्धि योजना, महिला रोजगार योजना, नैराडा ग्रामीण विकास हेतु योजनाये, वृद्धावस्था पेंशन योजना, परिवार लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, कस्तूरबा गाँधी योजना आदि।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंशारी एम.ए महिला अपराधिकता एवं पंचशील प्रकाशन फिल्म कॉलोनी जयपुर 1981
2. आहुजा राम सामाजिक समस्याएँ प्रकाशक श्रीमती प्रेम रावत प.3 न. 20 जवाहर नगर जयपुर।
3. आद्रे बिताई कास्ट क्लास एवं पावर (बर्कले एण्ड लॉस एंजिल्स केलीफोर्निया यूनिवर्सिटी 1965) भारतीय जनजातियो (राज. हिन्दी ग्रन्थ अका.
4. कपाडिया के एम मैरिज एण्ड केमिली इन इण्डिया मुम्बई - 1961
5. घोष एस.के विमन एण्ड काइम आशीष पब्लिशर्स हाउस 8/81 पंजाब बाग, नई दिल्ली 1986
6. जयसिंह नीरज राज.की संस्कृति एवं परम्पराएँ राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
7. डेक.टी.एम वुमेन एण्ड वर्क इन इण्डियाबो डिस्कवरी पब्लिकेशन हाउस 8/81 गीता कॉलोनी दिल्ली 1988

8. द्विवेदी राधेश्याम महिलाओं का उत्पीडन और विविध प्रकाशन मल्होत्रा पब्लिशिंग 282/1, के एल कीरगंज इलाहाबाद।
9. पाथी एवं महापाथा रिजर्वेशन पॉलिसी इन इण्डिया आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली 1988
10. पारीक आशा बालविकास एवं पारिवारिक सं. पब्लिशिंग कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
11. बोहरा आशारानी भारतीय नारी अहिने और सामाजिक नेशनल पब्लिशिंग हाउस 23 दरियागंज, नई दिल्ली 1960
12. बोहरा आशा रानी भारतीय नारी दशा एवं दिशा नेशनल पब्लिशिंग हाउस 23 दरियागंज नई, दिल्ली 1976

मेगजीन्स

1. अरावली उदघोष : प्रकाशन उदयपुर, राजस्थान
2. मीणा भारतीय : प्रकाशन हरिहर प्रिन्टर्स जयपुर।
3. रावल बप्या : ज्योतिलाल राजस्थान बनवासी परिषद् उदयपुर।
4. राव प्रसाद: साहुकार एण्ड ट्राइबल सोसाइटी ट्राइब टवंड 26, संख्या 3-4

स्मारिका

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा ज्योतिबा फूले, संस्कार 1995-96 प्रकाशन डॉ. भीमराव आदिवासियों के मसिहा, संस्मरण 1995